

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2016—कार्तिक 6, शक 1938

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन

58, अरेरा हिल्स भोपाल—462 011

पंचायत निर्वाचन  
अतिआवश्यक

क्र. एफ-70-70/2014/तीन/380

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

आदेश

**विषय :** ग्राम पंचायत के पंच पद के अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा-पत्र।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31-क(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा ग्राम पंचायत के पंच के स्थान/स्थानों को भरने के निर्वाचन में नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा एक घोषणा-पत्र एवं उसके साथ "घोषणा-पत्र का सार" नामक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करता है। "घोषणा-पत्र का सार" नामक यह दस्तावेज़ मूल घोषणा-पत्र का ही हर प्रकार से अंग माना जावेगा। इसलिए इसकी शुद्धता एवं परिपक्वता भी उतनी ही होनी चाहिये। इसका उपयोग आयोग के निर्देशों पर यथा समय संसूचना विषयक सामग्री के रूप में किया जा सकेगा।

2. इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ग्राम पंचायत के पंच पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक घोषणा-पत्र एवं उसके साथ ही एक सार पत्र प्रस्तुत करेगा। इनमें उसकी आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं एवं आपराधिक पृष्ठभूमि (यदि ऐसी अवस्था हो) आदि की जानकारी दी जावेगी। इस तरह प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा-पत्र एवं घोषणा-पत्र के सार पत्र के प्ररूप इस आदेश के अनुलग्नक के अनुसार होगा।

- (2) अभ्यर्थी द्वारा घोषणा-पत्र एवं उसके सार पत्र के प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि की जायेगी। यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है, तो उस कॉलम में "निरंक" शब्द अंकित करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी वांछित प्रविष्टि को रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर को यह जाँच करनी होगी कि नाम निर्देशन-पत्र के साथ दाखिल करते समय घोषणा-पत्र एवं उसके सार पत्र के सभी कॉलम भरे गए हैं या नहीं। यदि नहीं, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को रिक्त कॉलम को भरने के लिए तत्समय अवगत कराया जायेगा। अवगत कराने के पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी इन्हें भरने में असफल रहता है, तो नाम निर्देशन-पत्र की जाँच/संवीक्षा के समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन-पत्र खारिज किया जायेगा।
- (3) घोषणा-पत्र और उसके सार पत्र में दी गई जानकारियों में कोई असमानता अथवा अंतर नहीं होना चाहिए।
- (4) घोषणा-पत्र एवं उसका सार पत्र अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा।
- (5) घोषणा-पत्र एवं उसका सार पत्र न दिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जावेगा।
- (6) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं उसके सार पत्र की एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जायेगी। आयोग भी आवश्यकतानुसार इसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकेगा।
- (7) घोषणा-पत्र के सार पत्र की प्रति आयोग की वेबसाईट एवं जिले के वेबपेज पर आम जनता के अवलोकन हेतु अपलोड की जा सकेगी।
- (8) किसी निर्वाचक द्वारा मांग किए जाने पर घोषणा-पत्र एवं उसके सार पत्र की प्रमाणित प्रति दो रुपये प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदाय की जायेगी।
- (9) यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के घोषणा-पत्र एवं उसके सार पत्र में दी गई जानकारी के विरुद्ध घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जावेगी।
3. यह आदेश पंचायत आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन हेतु दिनांक 01 नवम्बर 2016 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

पंचायत निर्वाचन  
अनुलग्नक

ग्राम पंचायत – पंच के लिए  
(दिनांक 1 नवम्बर 2016 से प्रभावशील)

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

घोषणा-पत्र

नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर  
के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला

देखिए पंचायत निर्वाचन नियम 1995 नियम 31-क(1)

भाग-1

ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत ..... के वार्ड क्रमांक ..... के  
पंच पद के निर्वाचन के लिए  
में (नाम) .....  
पिता/पति का नाम .....  
आयु.....वर्ष, वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) .....  
व्यवसाय .....  
निवासी (पूरा पता) .....

जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- मेरा नाम, वार्ड क्रमांक ..... ग्राम पंचायत ..... विकासखण्ड .....  
जिला..... की मतदाता सूची के अनुक्रमांक ..... पर अंकित है।
- मेरा सम्पर्क विवरण निम्नानुसार है :-
  - दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित) (निवास) .....  
(कार्य स्थल) ..... मोबाईल नम्बर .....
  - ई-मेल आई.डी. (यदि कोई हो तो) .....
  - सोशल मीडिया अकाउण्ट (यदि कोई हो तो) .....
- मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों {स्वयं, पत्नि, माता-पिता, पुत्र-पुत्री (विवाहित/अविवाहित) एवं अन्य आश्रित} का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | नाम | आयु | पिता/पति का नाम | व्यवसाय | निवास का पता | अभ्यर्थी से संबंध |
|---------|-----|-----|-----------------|---------|--------------|-------------------|
| 1       |     |     |                 |         |              | स्वयं             |
| 2       |     |     |                 |         |              |                   |
| 3       |     |     |                 |         |              |                   |
| 4       |     |     |                 |         |              |                   |
| 5       |     |     |                 |         |              |                   |
| 6       |     |     |                 |         |              |                   |



7. मेरी और मेरे पारिवारिक सदस्यों की चल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | विवरण   | स्वयं | पति या पत्नि | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|---------|---|-------|--------------|----------|----------|----------|
| 1       | हाथ में नकदी  |       |              |          |          |          |
| 2       | बैंक, वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग संस्थानों और सहकारी सोसाईटियों के खातों में जमा धनराशि (बचत, नियत, आवधिक आदि समस्त)                                  |       |              |          |          |          |
| 3       | कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेन्चरों/ शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम   |       |              |          |          |          |
| 4       | राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक घर या बीमा कम्पनियों में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान (Investment) और रकम |       |              |          |          |          |
| 5       | किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से प्राप्त अन्य रकम   |       |              |          |          |          |
| 6       | वाहन (दो पहियों, चार पहिया) कंपनी मॉडल वर्ष एवं मूल्य   |       |              |          |          |          |
| 7       | जेवरात, बुलियन (बहुमूल्य धातुएं) और मूल्यवान वस्तुएं भार एवं मूल्य के ब्यौरे  |       |              |          |          |          |
| 8       | अन्य कोई आस्तियां जैसे दावों/हित का मूल्य   |       |              |          |          |          |
| 9       | समग्र कुल मूल्य   |       |              |          |          |          |

8. मेरी और मेरे पारिवारिक सदस्यों द्वारा धारित अचल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

टिप्पणी-1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी-2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णित किया जाना चाहिए।

| क्रमांक | विवरण                                      | स्वयं | पति या पत्नि | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|---------|--|-------|--------------|----------|----------|----------|
| 1.      | कृषि भूमि                                  |       |              |          |          |          |
|         | 1. स्थिति / स्थितियाँ                      |       |              |          |          |          |
|         | 2. खसरा क्रमांक एवं प्लॉट क्रमांक इत्यादि  |       |              |          |          |          |
|         | 3. रकबा (क्षेत्रफल)                        |       |              |          |          |          |
|         | 4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय               |       |              |          |          |          |
|         | 5. वर्तमान बाजार मूल्य                     |       |              |          |          |          |
| 2.      | गैर कृषि भूमि / आवासीय / व्यवसायिक भू-खण्ड |       |              |          |          |          |
|         | 1. स्थिति / स्थितियाँ                      |       |              |          |          |          |
|         | 2. खसरा क्रमांक एवं प्लॉट क्रमांक इत्यादि  |       |              |          |          |          |
|         | 3. रकबा (क्षेत्रफल)                        |       |              |          |          |          |
|         | 4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय               |       |              |          |          |          |
|         | 5. वर्तमान बाजार मूल्य                     |       |              |          |          |          |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 3. | भवन (आवासीय/व्यावसायिक)                        |  |  |  |  |  |
|    | 1.स्थिति/स्थितियों                             |  |  |  |  |  |
|    | 2.खसरा क्रमांक एवं प्लाट क्रमांक इत्यादि       |  |  |  |  |  |
|    | 3.क्षेत्रफल कुल माप                            |  |  |  |  |  |
|    | 4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय                   |  |  |  |  |  |
|    | 5.वर्तमान बाजार मूल्य                          |  |  |  |  |  |
| 4. | अन्य परिसंपत्तियाँ                             |  |  |  |  |  |
|    | अन्य सम्पत्तियों में हित                       |  |  |  |  |  |
| 5. | पूर्वोक्त 1 से 4 तक का कुल वर्तमान बाजार मूल्य |  |  |  |  |  |

9. मेरे और मेरे पारिवारिक सदस्यों के सार्वजनिक एवं वित्तीय लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों के ब्यौरे मेरी सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थानों, बैंकों के प्रति देनदारियों के बकाया का विवरण निम्नानुसार है :-

टिप्पणी -1 - यदि एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/अन्य व्यष्टिकों/निकायों का बकाया है तो प्रत्येक का पृथक-पृथक विवरण दिया जाये।

| क्रम संख्या                                     | विवरण  | स्वयं             | पति या पत्नि | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|---|--|-------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1. ऋण या शोध्य                                  | (अ) बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) का ऋण या शोध्य  |                   |              |          |          |          |
|   | 1. बैंक या वित्तीय संस्था का नाम   |                   |              |          |          |          |
|   | 2. बकाया रकम,  |                   |              |          |          |          |
|   | 3. ऋण की प्रकृति।  |                   |              |          |          |          |
| 1   | (ब) पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्ही अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य।  |                   |              |          |          |          |
|   | 1. नाम   |                   |              |          |          |          |
|   | 2. बकाया रकम   |                   |              |          |          |          |
|   | 3. ऋण की प्रकृति   |                   |              |          |          |          |
|   | (स) कोई अन्य दायित्व   |                   |              |          |          |          |
|   | 1. नाम   |                   |              |          |          |          |
|   | 2. बकाया रकम   |                   |              |          |          |          |
|   | 3. ऋण की प्रकृति   |                   |              |          |          |          |
|   | (द) दायित्वों का कुल योग (क्रमांक 1अ से 1स तक)   |                   |              |          |          |          |
|   | 2. सरकारी शोध्य  | 2.1. सरकारी आवास। |              |          |          |          |
| 2.2. जल आपूर्ति।                                |  |                   |              |          |          |          |
| 2.3. विद्युत् आपूर्ति।                          |  |                   |              |          |          |          |
| 2.4. टेलीफोन/मोबाइल।                            |  |                   |              |          |          |          |
| 2.5. सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) |  |                   |              |          |          |          |
| 2.6. आय-कर                                      |  |                   |              |          |          |          |
| 2.7. धनकर                                       |  |                   |              |          |          |          |
| 2.8. सेवाकर                                     |  |                   |              |          |          |          |
| 2.9. पंचायत/संपत्ति कर                          |  |                   |              |          |          |          |
| 2.10. विक्रयकर                                  |  |                   |              |          |          |          |
| 2.11. कोई अन्य                                  |  |                   |              |          |          |          |
| 3.  | कुल योग (क्रमांक 2.1 से 2.11 तक)   |                   |              |          |          |          |
| 4.  | क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें। |                   |              |          |          |          |



10. मेरे द्वारा किसी भी मद में पंचायत को देय किसी शोध्य धन का संदाय नहीं किया जाना है।

11. \* मैंने पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है।

अथवा

\* मेरा निम्नानुसार पंचायत तथा शासकीय भूमि/भूमियों पर अतिक्रमण कर कब्जा है :-

(\*जो लागू न हो उसे काट दें)

| क्रमांक | ग्राम का नाम जहाँ अतिक्रमण है | अतिक्रमित भूमि का विवरण |      | कितने वर्षों से अतिक्रमण है |
|---------|-------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|
|         |                               | खसरा क्रमांक            | रकबा |                             |
|         |                               |                         |      |                             |
|         |                               |                         |      |                             |
|         |                               |                         |      |                             |

12. \* मैं निरक्षर हूँ।

अथवा

\* मैं केवल साक्षर हूँ।

अथवा

\* मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

(\*जो लागू न हो उसे काट दें)

| क्रमांक | योग्यता | उत्तीर्ण करने का वर्ष | विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड का नाम |
|---------|---------|-----------------------|--|
|         |         |                       |  |
|         |         |                       |  |
|         |         |                       |  |
|         |         |                       |  |

13. \*\* मेरे आवासीय परिसर में फलश शौचालय या जलवाहित शौचालय है।

अथवा

\*\* मेरे आवासीय परिसर में फलश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)

सत्यापन

मैं.....(घोषणाकर्ता) एतद् द्वारा यह सत्यापन करता/करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा-पत्र के प्रत्येक भाग में मेरे द्वारा दी गई विषयवस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।

आज दिनांक .....माह.....सन्.....को स्थान.....पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया।

स्थान.....

दिनांक.....

घोषणाकर्ता

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

पंचायत निर्वाचन

## अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत घोषणा-पत्र का सार पत्र

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | अभ्यर्थी का नाम   |  |
| 2  | डाक का पूरा पता   |  |
| 3  | पिता/पति का नाम   |  |
| 4  | आयु   |  |
| 5  | जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)  |  |
| 6  | व्यवसाय   |  |
| 7  | उच्चतम शैक्षणिक योग्यता   |  |
| 8  | पद का नाम जिसके लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है                                       |  |
| 9  | वार्ड क्रमांक एवं ग्राम पंचायत का नाम   |  |
| 10 | विकासखण्ड का नाम  |  |
| 11 | जिले का नाम   |  |
| 12 | आपराधिक मामलों की कुल संख्या जिसमें न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है                |  |
| 13 | आपराधिक मामलों की संख्या जो न्यायालय में विचाराधीन हो                                     |  |
| 14 | अभ्यर्थी द्वारा क्या शासकीय या पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है (हाँ/नहीं) |  |
| 15 | यदि हाँ तो अतिक्रमित भूमि का कुल रकबा   |  |
| 16 | आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय की उपलब्धता (हाँ/नहीं)                     |  |

## 17. आय कर विवरणी के ब्यौरे

| क्र. | नाम          | PAN नम्बर | वित्तीय वर्ष जिसके लिए विवरणी दाखिल की गई | कुल दर्शित आय (रूपये में) |
|------|--------------|-----------|---|---------------------------|
| 1    | अभ्यर्थी     |           |   |                           |
| 2    | पति या पत्नि |           |   |                           |
| 3    | आश्रित -1    |           |   |                           |
| 4    | आश्रित -2    |           |   |                           |
| 5    | आश्रित -3    |           |   |                           |

## 18. चल अचल सम्पत्तियों और देनदारियों का समग्र विवरण

| क्र. | नाम          | चल सम्पत्ति का कुल समग्र मूल्य (रूपये में) | अचल सम्पत्तियों का कुल वर्तमान बाजार मूल्य (अनुमानित) | बैंक/वित्तीय संस्थाओं का कुल ऋण या शोध्य (रूपये में) | कुल सरकारी शोध्य (रूपये में) |
|------|--------------|--|---|--|------------------------------|
| 1    | अभ्यर्थी     |  |   |  |                              |
| 2    | पति या पत्नि |  |   |  |                              |
| 3    | आश्रित - 1   |  |   |  |                              |
| 4    | आश्रित - 2   |  |   |  |                              |
| 5    | आश्रित - 3   |  |   |  |                              |

## सत्यापन

मैं.....अभ्यर्थी एतद् द्वारा यह सत्यापन करता/करती हूँ कि उपरोक्त सार पत्र में दी गई समस्त जानकारी, मेरे द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल घोषणा-पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार लिखी गई है और इस सार पत्र के प्रत्येक भाग में मेरे द्वारा दी गई विषयवस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।

आज दिनांक .....माह.....सन्.....को स्थान.....पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया।

स्थान.....

घोषणाकर्ता

दिनांक.....

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन भवन  
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011

पंचायत निर्वाचन  
अतिआवश्यक

क्र. एफ-70-70/2014/तीन/383

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

आदेश

विषय : सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31-क(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा, जिला पंचायत के सदस्य/जनपद पंचायत के सदस्य/ग्राम पंचायत के सरपंच के स्थान/स्थानों को भरने के निर्वाचन में नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा एक शपथ-पत्र एवं उसके साथ "शपथ-पत्र का सार" नामक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करता है। "शपथ-पत्र का सार" नामक यह दस्तावेज मूल शपथ-पत्र का ही हर प्रकार से अंग माना जावेगा। इसलिए इसकी शुद्धता एवं परिपक्वता भी उतनी ही होनी चाहिये। इसका उपयोग आयोग के निर्देशों पर यथा समय संसूचना विषयक सामग्री के रूप में किया जा सकेगा।
2. इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-
  - (1) जिला पंचायत के सदस्य/जनपद पंचायत के सदस्य/ग्राम पंचायत के सरपंच पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र एवं उसके साथ ही एक सार पत्र प्रस्तुत करेगा। इनमें उसकी आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं एवं आपराधिक पृष्ठभूमि (यदि ऐसी अवस्था हो) आदि की जानकारी दी जावेगी। इस तरह प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र एवं शपथ-पत्र के सार पत्र के प्ररूप इस आदेश के अनुलग्नक के अनुसार होगा।
  - (2) अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र एवं उसके सार पत्र के प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि की जायेगी। यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है, तो उस कॉलम में "निरंक" शब्द अंकित करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी वांछित प्रविष्टि को रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर को यह जाँच करनी होगी कि नाम निर्देशन-पत्र के साथ दाखिल करते समय शपथ-पत्र एवं उसके सार पत्र के सभी कॉलम भरे गए हैं या नहीं। यदि नहीं, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को रिक्त कॉलम को भरने के लिए तत्समय अवगत कराया जायेगा। अवगत कराने के पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी इन्हें भरने में असफल रहता है, तो नाम निर्देशन-पत्र की जाँच/संवीक्षा के समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन-पत्र खारिज किया जायेगा।

- (3) शपथ-पत्र और उसके सार पत्र में दी गई जानकारी में कोई असमानता अथवा अंतर नहीं होना चाहिए।
  - (4) शपथ-पत्र निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा। शपथ-पत्र और उसका सार पत्र अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा और मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी के समक्ष शपथित होगा।
  - (5) शपथ-पत्र और उसका सार पत्र न दिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जावेगा।
  - (6) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र और उसके सार पत्र की एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जायेगी। आयोग भी आवश्यकतानुसार इसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकेगा।
  - (7) शपथ-पत्र के सार पत्र की प्रति आयोग की वेबसाइट एवं जिले के वेबपेज पर आम जनता के अवलोकन हेतु अपलोड की जा सकेगी।
  - (8) किसी निर्वाचक द्वारा मांग किए जाने पर शपथ-पत्र और उसके सार पत्र की प्रमाणित प्रति दो रूपये प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदाय की जायेगी।
  - (9) यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के शपथ-पत्र और उसके सार पत्र में दी गई जानकारी के विरुद्ध शपथ-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जावेगी।
3. यह आदेश पंचायत आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन हेतु दिनांक 01 नवम्बर 2016 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( सुनीता त्रिपाठी )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

पंचायत निर्वाचन

अनुलग्नक

सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य,  
जिला पंचायत सदस्य के लिए  
(दिनांक 1 नवम्बर 2016 से प्रभावशील)

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

**शपथ-पत्र**

नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर  
के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला

देखिए पंचायत निर्वाचन नियम 1995 नियम 31-क(2)

कृपया अपना नवीनतम  
पासपोर्ट साईज का  
फोटोग्राफ चस्पा करें  
और उस पर काली  
स्याही से इस तरह  
हस्ताक्षर करें कि,  
हस्ताक्षर फोटो एवं  
फार्म पर आये

- \*जिला पंचायत..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ..... से सदस्य  
\*जनपद पंचायत..... के निर्वाचन क्षेत्र क्र. .... से सदस्य  
\*ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत ..... के सरपंच

पद के निर्वाचन के लिये  
(\*जो लागू न हो उसे विलोपित कर दें)

मैं (नाम) ..... पिता/पति का  
नाम ..... आयु..... वर्ष, वर्ग  
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) ..... व्यवसाय .....  
..... निवासी (पूरा पता) .....

जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- मेरा नाम, वार्ड क्रमांक ..... ग्राम पंचायत ..... विकासखण्ड ..... जिला..... की मतदाता सूची के अनुक्रमांक ..... पर अंकित है।
- मेरा सम्पर्क विवरण निम्नानुसार है :-
  - दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित) (निवास) ..... (कार्य स्थल) ..... मोबाईल नम्बर .....
  - ई-मेल आई.डी. (यदि कोई हो तो) .....
  - सोशल मीडिया अकाउण्ट (यदि कोई हो तो) .....
- मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों [स्वयं, पत्नि, माता-पिता, पुत्र-पुत्री (विवाहित/अविवाहित) एवं अन्य आश्रित] का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | नाम | आयु | पिता/पति का नाम | व्यवसाय | निवास का पता | अभ्यर्थी से संबंध |
|---------|-----|-----|-----------------|---------|--------------|-------------------|
| 1       |     |     |                 |         |              | स्वयं             |
| 2       |     |     |                 |         |              |                   |
| 3       |     |     |                 |         |              |                   |
| 4       |     |     |                 |         |              |                   |
| 5       |     |     |                 |         |              |                   |
| 6       |     |     |                 |         |              |                   |



7. मेरी और मेरे पारिवारिक सदस्यों की चल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | विवरण  | स्वयं | पति या पत्नि | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|---------|--|-------|--------------|----------|----------|----------|
| 1       | हाथ में नकदी   |       |              |          |          |          |
| 2       | बैंक, वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग संस्थानों और सहकारी सोसाइटियों के खातों में जमा धनराशि (बचत, नियत, आवधिक आदि समस्त)                                 |       |              |          |          |          |
| 3       | कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेन्चरों/ शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम  |       |              |          |          |          |
| 4       | राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक घर या बीमा कंपनियों में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान (Investment) और रकम |       |              |          |          |          |
| 5       | किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से प्राप्त अन्य रकम   |       |              |          |          |          |
| 6       | वाहन (दो पहियों, चार पहिया) कंपनी मॉडल वर्ष एवं मूल्य  |       |              |          |          |          |
| 7       | जेवरात, बुलियन (बहुमूल्य धातुएं) और मूल्यवान वस्तुएं भार एवं मूल्य के ब्यौरे   |       |              |          |          |          |
| 8       | अन्य कोई आस्तियां जैसे दावों/हित का मूल्य  |       |              |          |          |          |
| 9       | समग्र कुल मूल्य  |       |              |          |          |          |

8. मेरी और मेरे पारिवारिक सदस्यों द्वारा धारित अचल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-  
 टिप्पणी-1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।  
 टिप्पणी-2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णित किया जाना चाहिए।

| क्रमांक | विवरण                                     | स्वयं | पति या पत्नि | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|---------|---|-------|--------------|----------|----------|----------|
| 1.      | कृषि भूमि                                 |       |              |          |          |          |
|         | 1. स्थिति/स्थितियाँ                       |       |              |          |          |          |
|         | 2. खसरा क्रमांक एवं प्लॉट क्रमांक इत्यादि |       |              |          |          |          |
|         | 3. रकबा (क्षेत्रफल)                       |       |              |          |          |          |
|         | 4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय              |       |              |          |          |          |
|         | 5. वर्तमान बाजार मूल्य                    |       |              |          |          |          |
| 2.      | गैर कृषि भूमि/आवासीय / व्यवसायिक भू-खण्ड  |       |              |          |          |          |
|         | 1. स्थिति/स्थितियाँ                       |       |              |          |          |          |
|         | 2. खसरा क्रमांक एवं प्लॉट क्रमांक इत्यादि |       |              |          |          |          |
|         | 3. रकबा (क्षेत्रफल)                       |       |              |          |          |          |
|         | 4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय              |       |              |          |          |          |
|         | 5. वर्तमान बाजार मूल्य                    |       |              |          |          |          |



|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 3. | भवन (आवासीय / व्यावसायिक)                      |  |  |  |  |  |
|    | 1.स्थिति / स्थितियों                           |  |  |  |  |  |
|    | 2.खसरा क्रमांक एवं प्लॉट क्रमांक इत्यादि       |  |  |  |  |  |
|    | 3.क्षेत्रफल कुल माप                            |  |  |  |  |  |
|    | 4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय                   |  |  |  |  |  |
|    | 5.वर्तमान बाजार मूल्य                          |  |  |  |  |  |
| 4. | अन्य परिसंपत्तियों                             |  |  |  |  |  |
|    | अन्य सम्पत्तियों में हित                       |  |  |  |  |  |
| 5. | पूर्वोक्त 1 से 4 तक का कुल वर्तमान बाजार मूल्य |  |  |  |  |  |

9. मेरे और मेरे पारिवारिक सदस्यों के सार्वजनिक एवं वित्तीय लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों के ब्यारे मेरी सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थानों, बैंकों के प्रति देनदारियों के बकाया का विवरण निम्नानुसार है :-

टिप्पणी -1 - यदि एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/अन्य व्यष्टिकों/निकायों का बकाया है तो प्रत्येक का पृथक-पृथक विवरण दिया जाये।

| क्रम संख्या                                     | विवरण  | स्वयं             | पति या पत्नि | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|---|--|-------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1. ऋण या शोध्य                                  | (अ) बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) का ऋण या शोध्य  |                   |              |          |          |          |
|   | 1. बैंक या वित्तीय संस्था का नाम   |                   |              |          |          |          |
|   | 2. बकाया रकम,  |                   |              |          |          |          |
|   | 3. ऋण की प्रकृति।  |                   |              |          |          |          |
| 1   | (ब) पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्ही अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य।  |                   |              |          |          |          |
|   | 1. नाम   |                   |              |          |          |          |
|   | 2. बकाया रकम   |                   |              |          |          |          |
|   | 3. ऋण की प्रकृति   |                   |              |          |          |          |
|   | (स) कोई अन्य दायित्व   |                   |              |          |          |          |
|   | 1. नाम   |                   |              |          |          |          |
|   | 2. बकाया रकम   |                   |              |          |          |          |
|   | 3. ऋण की प्रकृति   |                   |              |          |          |          |
|   | (द) दायित्वों का कुल योग (क्रमांक 1अ से 1स तक)   |                   |              |          |          |          |
|   | 2. सरकारी शोध्य  | 2.1. सरकारी आवास। |              |          |          |          |
| 2.2. जल आपूर्ति।                                |  |                   |              |          |          |          |
| 2.3. विद्युत् आपूर्ति।                          |  |                   |              |          |          |          |
| 2.4. टेलीफोन/मोबाइल।                            |  |                   |              |          |          |          |
| 2.5. सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) |  |                   |              |          |          |          |
| 2.6. आय-कर                                      |  |                   |              |          |          |          |
| 2.7. धनकर                                       |  |                   |              |          |          |          |
| 2.8. सेवाकर                                     |  |                   |              |          |          |          |
| 2.9. पंचायत/संपत्ति कर                          |  |                   |              |          |          |          |
| 2.10. विक्रयकर                                  |  |                   |              |          |          |          |
| 2.11. कोई अन्य                                  |  |                   |              |          |          |          |
| 3.  | कुल योग (क्रमांक 2.1 से 2.11 तक)   |                   |              |          |          |          |
| 4.  | क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें। |                   |              |          |          |          |

10. मेरे द्वारा किसी भी मद में पंचायत को देय किसी शोध्य धन का संदाय नहीं किया जाना है।

11. \* मैंने पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है।

अथवा

\* मेरा निम्नानुसार पंचायत तथा शासकीय भूमि/भूमियों पर अतिक्रमण कर कब्जा है :-

(\* जो लागू न हो उसे विलोपित कर दें)

| क्रमांक | ग्राम का नाम जहाँ अतिक्रमण है | अतिक्रमित भूमि का विवरण |      | कितने वर्षों से अतिक्रमण है |
|---------|-------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|
|         |                               | खसरा क्रमांक            | रकबा |                             |
|         |                               |                         |      |                             |
|         |                               |                         |      |                             |
|         |                               |                         |      |                             |

12. \* मैं निरक्षर हूँ।

अथवा

\* मैं केवल साक्षर हूँ।

अथवा

\* मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

(\* जो लागू न हो उसे विलोपित कर दें)

| क्रमांक | योग्यता | उत्तीर्ण करने का वर्ष | विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड का नाम |
|---------|---------|-----------------------|--|
|         |         |                       |  |
|         |         |                       |  |
|         |         |                       |  |
|         |         |                       |  |

13. \*\* मेरे आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय है।

अथवा

\*\* मेरे आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है।

(\*जो लागू न हो उसे काट दें)

सत्यापन

मैं.....शपथग्रहीता एतद्वारा यह सत्यापन करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के प्रत्येक भाग में मेरे द्वारा दी गई विषयवस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।

आज दिनांक .....माह.....सन्.....को स्थान.....पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया।

स्थान.....

शपथग्रहीता

दिनांक.....

पंचायत निर्वाचन

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

## अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र का सार पत्र

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | अभ्यर्थी का नाम   |  |
| 2  | डाक का पूरा पता   |  |
| 3  | पिता/पति का नाम   |  |
| 4  | आयु   |  |
| 5  | जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)  |  |
| 6  | व्यवसाय   |  |
| 7  | उच्चतम शैक्षणिक योग्यता   |  |
| 8  | पद का नाम जिसके लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है                                       |  |
| 9  | निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक अथवा ग्राम पंचायत का नाम   |  |
| 10 | विकासखण्ड का नाम  |  |
| 11 | जिला पंचायत का नाम  |  |
| 12 | आपराधिक मामलों की कुल संख्या जिसमें न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है                |  |
| 13 | आपराधिक मामलों की संख्या जो न्यायालय में विचाराधीन हो                                     |  |
| 14 | अभ्यर्थी द्वारा क्या शासकीय या पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है (हाँ/नहीं) |  |
| 15 | यदि हाँ तो अतिक्रमित भूमि का कुल रकबा   |  |
| 16 | आवासीय परिसर में फलश शौचालय या जलवाहित शौचालय की उपलब्धता (हाँ/नहीं)                      |  |

## 17. आय कर विवरणी के ब्यौरे

| क्र. | नाम          | PAN नम्बर | वित्तीय वर्ष जिसके लिए विवरणी दाखिल की गई | कुल दर्शित आय (रूपये में) |
|------|--------------|-----------|---|---------------------------|
| 1    | अभ्यर्थी     |           |   |                           |
| 2    | पति या पत्नि |           |   |                           |
| 3    | आश्रित -1    |           |   |                           |
| 4    | आश्रित -2    |           |   |                           |
| 5    | आश्रित -3    |           |   |                           |

## 18. चल अचल सम्पत्तियों और देनदारियों का समग्र विवरण

| क्र. | नाम          | चल सम्पत्ति का कुल समग्र मूल्य (रूपये में) | अचल सम्पत्तियों का कुल वर्तमान बाजार मूल्य (अनुमानित) | बैंक/वित्तीय संस्थाओं का कुल ऋण या शोध्य (रूपये में) | कुल सरकारी शोध्य (रूपये में) |
|------|--------------|--|---|--|------------------------------|
| 1    | अभ्यर्थी     |  |   |  |                              |
| 2    | पति या पत्नि |  |   |  |                              |
| 3    | आश्रित - 1   |  |   |  |                              |
| 4    | आश्रित - 2   |  |   |  |                              |
| 5    | आश्रित - 3   |  |   |  |                              |

## सत्यापन

मैं.....अभ्यर्थी एतद्वारा यह सत्यापन करता/करती हूँ कि उपरोक्त सार पत्र में दी गई समस्त जानकारी, मेरे द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार लिखी गई है और इस सार पत्र के प्रत्येक भाग में मेरे द्वारा दी गई विषयवस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।

आज दिनांक .....माह.....सन्.....को स्थान.....पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया।

स्थान.....

शपथग्रहीता

दिनांक.....

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
 "निर्वाचन-भवन"  
 58 अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

|                      |
|----------------------|
| तत्काल<br>महत्वपूर्ण |
|----------------------|

क्र. एफ-38-01/2016/तीन/386

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

## आदेश

विषय : त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-8क, 8ख, 8ग, 8घ) में वर्णक्रम निर्धारण हेतु मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-38(3) के तहत विहित प्रक्रिया।

—X—

आयोग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-37-तीन (6)-95-257, दिनांक 17.01.1996 से मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 38 के उपनियम (तीन) के अनुक्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची हिन्दी वर्णानुक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए रीति विहित की गई है। विगत 22 वर्षों में यह देखने में आया है कि हिन्दी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों के नामों का वर्णक्रम निर्धारण करने में कई बार तकनीकी त्रुटियाँ हो जाती हैं, जो पुनर्मतदान का कारण बनती हैं। कई बार मतपत्रों में मुद्रण की त्रुटि से कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थितियाँ भी निर्मित हुई हैं। अतः कार्य सुविधा की दृष्टि से उक्त आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर अभ्यर्थियों के वर्णक्रम निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-38(3) के तहत निम्नानुसार प्रक्रिया विहित की जाती है :-

1. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-38(2), 40 और 51 के तहत मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी भाषा की देवनागरी लिपि में मुद्रित किये जायेंगे।
2. हिन्दी भाषा की देवनागरी लिपि में मतपत्रों को मुद्रित कराने के लिए अभ्यर्थियों के नामों का वर्णक्रम निर्धारण उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabet) के आधार पर किया जाये।
3. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न परिशिष्ट-1 में मतपत्र तथा निर्वाचन से सम्बंधित दस्तावेजों में लिखे जाने वाले उसके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग की जानकारी प्रस्तुत करेगा। अभ्यर्थी यह जानकारी संवीक्षा तिथि तक प्रस्तुत कर सकेंगे। इस आशय की जानकारी नाम निर्देशन पत्र जमा करने पर दी जाने वाली चेकलिस्ट (पावती) में भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनिवार्य रूप से दर्ज की जायेगी।
4. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा प्रारम्भ होने के समय तक उपर्युक्तानुसार अभ्यर्थी द्वारा परिशिष्ट-1 की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित की जायेगी। इस सम्बंध में रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय अंतिम होगा।

5. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न परिशिष्ट-1 में अंग्रेजी भाषा में जिस प्रकार नाम लिखा गया है, उसके प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाए। यदि अभ्यर्थी ने अपने नाम के साथ कुलनाम (सरनेम) भी लिखा है परन्तु कुलनाम, नाम के बाद लिखा गया है तो नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर ही वर्णक्रम निर्धारित किया जाए। परन्तु यदि कुलनाम, नाम के पहले लिखा गया है तो कुलनाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम Rajesh Sharma लिखा है तो उसका वर्णक्रम निर्धारण R के आधार पर होगा और यदि उसने अपना नाम Sharma Rajesh लिखा है तो वर्णक्रम निर्धारण S के आधार पर होगा।
6. यदि अभ्यर्थी ने अपना पूरा नाम न लिखकर आद्याक्षरों में (Initials) में लिखा हो तो वर्णक्रम निर्धारित करते समय आद्याक्षरों (Initials) की और ध्यान नहीं दिया जाए। उदाहरण यदि अभ्यर्थी Shiv Kumar ने अपना नाम S. Kumar लिखा है तो "S" के बजाय उसका वर्णक्रम "Kumar" शब्द के प्रथम अक्षर "K" के आधार पर निर्धारित किया जाए। यदि अभ्यर्थी Madan Lal Bharti ने अपना नाम M.L. Bharti लिखा है तो "M" के बजाय उसका वर्णक्रम "Bharti" शब्द के प्रथम अक्षर "B" के आधार पर निर्धारित किया जाए। परन्तु यदि आद्याक्षरों का प्रयोग करने वाले दो अभ्यर्थियों के नामों के शेष बचे भाग (जिसपर कि उपरोक्तानुसार वर्णक्रम निर्धारित होगा), एक समान हों जैसे कि P.S.Verma और B.K.Verma, तो उनका पारस्परिक वर्णक्रम निर्धारित करने में उनके आद्याक्षरों के प्रथम अक्षरों को विचार में लिया जाए। इस उदाहरण में B.K.Verma का नाम पहले और P.S.Verma का नाम बाद में रखा जाएगा।
7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम के साथ आदरसूचक शब्द, शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाले शब्द, पैतृक नाम या व्यवसाय दर्शाने वाले शब्द या किसी उपाधि को दर्शाने वाले शब्द जोड़े गये हो, जैसे कि "डाक्टर (Dr.), इंजीनियर (Er.), आचार्य (Acharya), पंडित (Pandit), वैद्य (Vaidya), प्रोफेसर (Prof.), हकीम (Hakim), मेजर (Maj.), कर्नल (Col.), लेफ्टिनेन्ट (Lt.) राजा (Raja),] ठाकुर (Thakur), कुंवर (Kunwar), महन्त (Mahant), लाला (Lala), चौधरी (Chaudhary) आदि तो वर्णक्रम निर्धारित करते समय इन शब्दों को नजर अंदाज किया जाए। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी अपना नाम Dr. Anand Mohan लिखता है तो उसका वर्णक्रम Anand के "A" अक्षर के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा, Dr. (डाक्टर) के "D" अक्षर के आधार पर नहीं।
8. कुछ शब्द ऐसे हैं जो आदरसूचक और कुलनाम दोनों दर्शाने वाले होते हैं, जैसे कि ठाकुर, चौधरी, पंडित। ऐसे मामले में रिटर्निंग आफिसर को उसे सही संदर्भ में देखना चाहिए। उदाहरणार्थ Ganga Prasad Thakur तथा Thakur Man Singh नामों में "Ganga Prasad Thakur" के वर्णक्रम का निर्धारण "Ganga" शब्द पर आधारित होगा क्योंकि यहां Thakur शब्द कुलनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि "Thakur Man Singh" का वर्णक्रम "Man" शब्द पर आधारित होगा, क्योंकि यहां ठाकुर (Thakur) शब्द एक उपाधि या आदरसूचक शब्द के रूप में प्रयोग में लाया गया है। संशय की स्थिति में अभ्यर्थी से स्थिति स्पष्ट करा ली जाए और तदनुसार ही वर्णक्रम निर्धारित किया जाए।

9. यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक समान हों तो प्रत्येक के नाम के आगे उसके पिता का नाम जोड़कर या उसके निवास स्थान या व्यवसाय का उल्लेख करके उसे विभेदित और विस्तारित किया जाए और ऐसे अभ्यर्थियों के नामों के वर्णक्रम का निर्धारण उनके विस्तारित नामों के आधार पर किया जाए। उदाहरण के लिए Kishore Babulal (किशोर बाबूलाल) तथा Kishore Atmaram (किशोर आत्माराम) नामों में Kishore Atmaram का नाम पहले लिखा जाएगा और Kishore Babulal का नाम उसके बाद। परन्तु यदि दोनों उम्मीदवारों के पिता का नाम एक ही हो तो अभ्यर्थियों से परामर्श करके और उनकी सहमति से उनके व्यवसाय या निवास स्थान का नाम साथ में जोड़कर, उनके बीच विभेद किया जाए, जैसे कि “Kishore Thekedar” तथा “Kishore Bandmaster” (पेशे के अनुसार विभेद) या “Kishore Nayapura” तथा “Kishore Parasiya” (निवास स्थान के अनुसार विभेद) और विस्तारित नाम के आधार पर उनके वर्णक्रम का निर्धारण किया जाए।
10. यदि दो अभ्यर्थियों के नामों के प्रथम अक्षर एक जैसे हों तो नाम के द्वितीय अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाए। यदि नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर एक जैसे हों तो तृतीय अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाए और यदि नाम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अक्षर एक जैसे हों तो चौथे अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाए और इसी रीति का आगे अनुसरण किया जाए। उदाहरण के लिये :-
- यदि Ramnarayan तथा Ramprasad अभ्यर्थियों में, प्रथम तीन अक्षर “R”, “A” तथा “M” एक समान होने के कारण, वर्णक्रम का निर्धारण चौथा अक्षर “N” और “P” के आधार पर किया जाएगा और तदनुसार अभ्यर्थियों की सूची में Ramnarayan का नाम पहले तथा Ramprasad का नाम बाद में आएगा।
  - यदि दो अभ्यर्थियों द्वारा नाम Ramnarayan तथा Ram Prasad लिखे गए हों तो, ऐसी स्थिति में Prasad सरनेम (Surname) के रूप में माना जाएगा। चूंकि वर्णक्रम का निर्धारण नाम के आधार पर होना है, इस कारण अभ्यर्थियों की सूची में Ram Prasad का नाम पहले तथा Ramnarayan का नाम बाद में आएगा।
  - संतोष कुमार अग्रवाल (Santosh Kumar Agrawal) और संतोष अग्रवाल (Santosh Agrawal) के वर्णक्रम का निर्धारण क्रमशः संतोष कुमार अग्रवाल में कुमार (K) से और संतोष अग्रवाल में अग्रवाल (A) के आधार पर होगा। अर्थात् संतोष अग्रवाल का नाम पहले आयेगा और संतोष कुमार अग्रवाल का नाम बाद में। इसी प्रकार संतोष कुमार अग्रवाल (Santosh Kumar Agrawal) और संतोष लालचंद अग्रवाल (Santosh Lalchand Agrawal) के वर्णक्रम का निर्धारण क्रमशः कुमार (K) और लालचंद (L) से होगा अर्थात् संतोष कुमार अग्रवाल का नाम पहले आयेगा और संतोष लालचंद अग्रवाल का नाम बाद में।
11. हिन्दी के कई नाम अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार लिखे जाते हैं जिसमें प्रथम अक्षर Silent के रूप में उच्चारित होते हैं, यथा— क्षितिज (Kshitij), ऋतिक (Hritik)] क्षमा (Kshama) इत्यादि। अतः ऐसी स्थिति में वर्णक्रम निर्धारण में Silent अक्षरों को भी मान्य किया जाएगा

12. सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में नामों की स्पेलिंग बहुप्रचलित परम्परा के अनुसार ही मान्य की जाये। हीरालाल की स्पेलिंग (Hiralal) और (Heeralal) दोनों प्रकार से मान्य की जाये, परन्तु किशोर की स्पेलिंग (Kishore) ही मान्य की जायेगी, न कि (Keeshore) अथवा (Chishore)।
13. यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थियों की सूची में वरीयता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के किसी साइलेंट अक्षर से प्रारंभ करता है अथवा किसी अक्षर की पुनर्रवृत्ति करता है। यथा— अमित (Amit) और अनिल (Anil) में वर्णक्रम दूसरे वर्ण (M) और (N) के आधार पर तय होगा और अमित पहले तथा अनिल बाद में आयेगा, लेकिन यदि अनिल अपनी स्पेलिंग (Anil) लिखकर पहले आने का प्रयास करता है तो यह मान्य नहीं होगा। परन्तु यदि अनिल अपने पक्ष समर्थन में मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेन्स या पेन कार्ड जैसे सर्वमान्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसके नाम की स्पेलिंग वही मान्य होगी जो कि दस्तावेज में दर्ज है। यदि इसी प्रकार राम (Ram) के स्थान पर (Aram) लिखता है तो वह मान्य नहीं होगा। इस प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर वही स्पेलिंग मान्य करेगा जो बहुप्रचलित परम्परा अनुसार मान्य हो।
14. अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थी से इस आशय की अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने पक्ष समर्थन में अंग्रेजी नाम के दस्तावेज यथा—भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र (पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, कार्यालयीन परिचय पत्र आदि), मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक अंकसूची इत्यादि प्रस्तुत करे जिससे कि निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।
15. रिटर्निंग ऑफिसर को यह सलाह दी जाती है कि वह वर्णक्रम निर्धारण के विवाद से बचने हेतु समयपूर्व ही अभ्यर्थी से ऐसे दस्तावेज प्राप्त कर लें, जिससे कि अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग की पुष्टि हो सके।
16. अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग के निर्धारण में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय के रूप में मान्य होगा।

संलग्न – परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( सुनीता त्रिपाठी )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.



## परिशिष्ट-1

नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाये  
मतपत्र तथा निर्वाचन सम्बंधी दस्तावेजों में लिखे जाने वाले नाम की जानकारी

मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से सम्बंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाये।

1. हिन्दी में (नाम निर्देशन पत्र की कंडिका-घ अनुसार)

.....  
.....

2. अंग्रेजी में

.....  
.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम .....

दिनांक :- .....

नोट

1. हिन्दी में नाम नहीं लिखने की स्थिति में मतपत्रों पर नाम निर्देशन पत्र में अंकित नाम ही मतपत्र तथा निर्वाचन से सम्बंधित दस्तावेजों में दर्ज किया जायेगा।
2. अंग्रेजी में नाम नहीं लिखने की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग अंतिम होगी।
3. नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग में विसंगति अथवा विवाद की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। अभ्यर्थी अपने पक्ष समर्थन में अंग्रेजी नाम के दस्तावेज यथा-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र (पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, कार्यालयीन परिचय पत्र आदि), मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक अंकसूची इत्यादि प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. यह जानकारी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा प्रारम्भ होने के समय तक प्रस्तुत की जा सकती है।